धा. हटाने के लिए कब्जा आदेश

RS-124/2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 09/03/22 | कार्यवाही प्रस्तुत। मुतालिक रिपोर्ट संलग्न कार्यवाही पूर्ण कोर्ट फीस पर है। न्यायालय के कारण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नोटिस दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी के जवाब तलब पर जवाबदावा पेश होने पर कार्यवाही पुनः पेश हो। | |
| 22/4/22 | कार्यवाही प्रस्तुत। जवाबदावा पेश हुआ। शामिल कार्यवाही रहे। प्रकरण का फैसला किया। वादी ने वाद का अन्तर्गत धारा 80 CPC व धारा 136 LRA के वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खेटी ग्राम शाहपुरा वास तहसील लूनकरणसर के खसरा 67 आराजी 3.9600 है० खसरा 73 आराजी 2.3700 है०, खसरा 74 आराजी 0.3300 है० मे 0.3 सड़क सहित 6.0300 बीघा संयुक्त खाते दारी और सरकार रिकार्ड में विधिवत दर्ज है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। बावजूद भी मे वादी का नाम विरासत ईस्तकाल दर्ज करने बल गुरनेक सिंह दर्ज हो गया जो अगतक बदस्तूर चला आ रहा है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों मे हटाने के लिए दर्ज है इसलिये वादी गुरनेक सिंह के स्थान पर अपना नाम हटाने के लिए दर्ज कराना चाहता है जिसके लिए यह दावा प्रस्तुत है। वाद पत्र की प्रति प्रतिवादी को दिलाई गई। प्रतिवादी हाजिर की गई से इकरार जवाब पेश हुआ। वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। वादी ने दावा के समर्थन मे जवाबदावा तहरीर ग्राम शाहपुरा वास संयुक्त खाता भूमि अन्तर्गत जाति, मेघवाल का बाबत हुकूमी प्रशासन गांव के संग मौखिक व्यय किया पर भी गई रिपोर्ट पटवारी व मौखिक बहसीकार | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 18:17:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी |
|---|---|---|

स्टाम्प कागज, आधार कार्ड, पेन्शनरक बोर्ड पैन कार्ड, पैन कार्ड, परिचय का राशन कार्ड की छायाप्रतियां, शपथ का स्टाम्प कागज प्रमाणित मूल, सरपंच ग्राम पंचायत धनेटा की तस्दीक पेश की।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार लूनकरनसर की अभिशंसा व इकबाल जवाब दावा से वाद वादी साबित होता है। वादी का असली हालात के वास्तविक नाम हरनेकसिंह है वर्तमान जमाबन्दी में गुरनेक सिंह दर्ज चला आ रहा है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी का वर्तमान रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2016-2019 के संयुक्त खाता में गुरनेक सिंह के स्थान पर हरनेकसिंह दुरुस्ती की घोषणा की जाती है। तहसीलदार लूनकरनसर रोही मौजा शाह पुरावास की जमाबन्दी सम्वत 2016-2019 खाता सं. 72 के कॉलम 67, 73, 74 में वादी का नाम गुरनेक सिंह के स्थान पर हरनेकसिंह दुरुस्त करें। पक्ष मतभेद की अवधि पश्चात अपील प्रस्तुत करे। अपीलकर्ता निर्धारित में भुगतान करे। हक जाब्ता पारित किया जाकर [illegible]

मसौदा मान्य दिनांक 14/11 को कर दाखिल किया जाकर रोल न्यायालय में दुरुस्त गया।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok
Date: 2022.06.20 18:17
Reason: SelfAttested